**भारत सरकार**

**विद्युत मंत्रालय**

**....**

 **राज्य सभा**

अ**तारांकित प्रश्न संख्या-88**

**जिसका उत्तर** 24 नवंबर**, 2014 को दिया जाना है ।**

**केरल को विद्युत आपूर्ति**

**88. श्री जॉय अब्राहमः**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय ने राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड से केरल को विद्युत की बार-बार अनियमित आपूर्ति होने की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) मंत्रालय राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड से इस राज्य को विद्युत की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाएगा?

**उत्तर**

**विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्री पीयूष गोयल)**

**(क) से (ग) :** अन्तर-राज्य उत्पादन केन्द्रों (आईएसजीएस) से विद्युत के आवंटन की पूर्ण मात्रा केरल राज्य के लिए निर्धारित की गई है। यद्यपि, दक्षिणी क्षेत्र में संबंधित पारेषण लाइनों में उपलब्ध अन्तरण क्षमता की बाधाओं के कारण विद्युत प्रवाह की एक सीमा है। अन्तरण क्षमता को बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं:

1. 765 केवी सिंगल सर्किट की दो अति उच्च क्षमता वाली रायचूर-शोलापुर पारेषण लाइनों का निर्माण एवं चालू करना।
2. इसके अतिरिक्त, 400 केवी कोझीकोड-मैसूर डी/सी पारेषण लाइन और एडमॉन (केएसईबी)-मुवात्तुपुझा (कोचीन) पारेषण लाइनों के साथ-साथ अन्य अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम पारेषण लाइनों का निर्माण करके पारेषण क्षमता में वृद्धि करना।

\*\*\*\*\*\*\*\*